

प्ररूप 2
(नियम 12 छावनी निर्वाचन नियम 2007 देखिए)
दावे और आक्षेप फाईल करने के लिए सूचना

1. झांसी छावनी के मतदाताओं की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली निरीक्षण के लिए प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के मध्य छावनी बोर्ड के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी ।
2. कोई व्यक्ति जो अपना नाम इस नियमावली में दर्ज करने का दावा करता है जिसका नाम उसमें दर्ज नहीं है या किसी गलत स्थान पर अथवा गलत विशिष्टियों के साथ दर्ज है मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संबोधित यथास्थिति अपने नाम को दर्ज कराने या रजिस्टर संबंधी त्रुटि ठीक करने को दावे में सम्मिलित कर सकेगा ।
3. कोई व्यक्ति, जिसका नाम इस नामावली में है और जो अपना स्वयं का नाम या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के, जिसका नाम नामावली में है, नाम को सम्मिलित किये जाने के बारे में आक्षेप करता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आक्षेप भेज सकेगा ।
4. दावे इस सूचना से आबद्ध प्ररूप 3 में और आक्षेप का 4 या प्ररूप 4-क में किए जाएंगे । तथा वे दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होंगे, प्ररूपों की प्रतियां मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आवेदन पर मुक्त प्रदाय की जाएंगी ।
5. दावे और आक्षेप मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कार्यालय समय के दौरान किसी भी समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं या डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं किन्तु इस सूचना के जारी किए जाने की तारीख के 20 दिन के भीतर अवश्य पहुंच जाने चाहिए ।
6. दावे और आक्षेप जो उचित प्ररूप में नहीं किए गए हैं या विहित तारीख तक प्राप्त नहीं हुए हैं अस्वीकृत कर दिए जाएंगे ।
7. समय और उचित प्ररूप में प्राप्त सभी दावे और आक्षेप दिनांक 28.12.2007 को प्रातः 11.00 बजे से अध्यक्ष छावनी परिषद अथवा उनके नामिती द्वारा सुने जाएंगे ।

हस्ता-XXXXX
अध्यक्ष छावनी परिषद, झांसी
(ब्रिगेड कृष्णा सम्पथ)

प्रतिलिपि –

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. कैण्ट मान्देशरी स्कूल भवन | – | वार्ड नं० 1 |
| 2. सन्तलाल धर्मशाला, सदर बाजार | – | वार्ड नं० 2 |
| 3. कैण्ट जनरल अस्पताल, झांसी | – | वार्ड नं० 3 |
| 4. स्टेशन मुख्यालय का बाहरी नोटिस बोर्ड | – | वार्ड नं० 4 |
| 5. कैण्ट प्राईमरी स्कूल, तोपखाना बाजार | – | वार्ड नं० 5 |
| 6. कैण्ट प्राईमरी स्कूल, लालकुर्ती बाजार | – | वार्ड नं० 6 |
| 7. महाराजा अग्रसेन स्कूल (लास्कला) नोटिस बोर्ड | – | वार्ड नं० 7 |
| 8. नोटिस बोर्ड छावनी परिषद, झांसी | – | वार्ड नं० 1 से 7 |
| 9. स्वच्छता निरीक्षक, छावनी परिषद, झांसी | – | ढोढी पिटवाने हेतु (8 प्रति) |
| 10. स्टेशन मुख्यालय, झांसी छावनी | – | सूचनार्थ |

FORM II
[See Rule 12 of CER 2007]

Notice to file claims and objections.

The preliminary electoral roll of voters for the Cantonment Jhansi is open to inspection at the Cantonment Board Office daily between 11.00 A.M. and 4.00 P.M.

2. Any person who claims to be entered in this roll and who is not entered therein or is entered in an incorrect place or with incorrect particulars may put in a claim addressed to the Chief Executive Officer to have his name entered, or the registry corrected, as the case may be.
3. Any person whose name is borne on this roll and who objects to the inclusion of his own name, or that of any other person whose name is on the roll, may prefer the objection addressed to the Chief Executive Officer.
4. Claims shall be preferred in Form III and objections in Form IV or Form IV-A appended to this notice and must be signed by the claimant or objector or by his duly authorised agent, copies of the forms will be supplied free by the Chief Executive Officer on application.
5. Claims and objections may be presented to the Chief Executive Officer at any time during office hours or sent by post but it must reach him within twenty days of the date of issue of this notice.
6. Claims and objections which are not preferred in the proper form or are not received by the date prescribed will be rejected.
7. All claims and objections received in time and in proper form will be heard by President Cantonment Board, Jhansi or his nominee from 11.00 hours on 28.12.2007.

Sig- xxxxxx Brig
President Cantonment Board
(Krishna Sampath) Jhansi

Copy to:-

- | | | | |
|-----|--|---|-------------------------------|
| 1. | Cantt Montessory School Building, SB, Jhansi | - | Ward No.I |
| 2. | Sant Lal Dharamshala, SB, Jhansi. | - | Ward No.II |
| 3. | Cantt General Hospital, SB, Jhansi | - | Ward No. III |
| 4. | Outer Notice Board of Station HQ., Jhansi | - | Ward No. IV |
| 5. | Cantt Primary School, Topkhana Bazar, Jhansi | - | Ward No. V |
| 6. | Cantt Primary School, Lalkurti Bazar, Jhansi | - | Ward No. VI |
| 7. | Mah. Agrasen School (Lascala) Notice Board | - | Ward No.VII |
| 8. | Cantt Board Notice Board, Jhansi. | - | Ward No. I to VII |
| 9. | The Sanitary Inspector, CB, Jhansi. | - | 8 copies for wide publication |
| 10. | The Station Headquarters, Jhansi Cantt | - | For information. |

छावनी परिषद, झांसी
आम सूचना

झांसी छावनी – झांसी छावनी के वार्डों में महिला वार्ड का आरक्षण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने झांसी छावनी के वार्डों के विभाजन सम्बन्धी अधिसूचना का०नि०आ० संख्या ०७ई दिनांक १३.११.२००७ द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी है ।

रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या ७६/३८/कैन्ट एक्ट/सी/डी.ई./०७ खण्ड २ दिनांकित १३.११.२००७ के अनुसरण में छावनी निर्वाचक नियमावली के नियम ०६ तथा ०७ के अन्तर्गत महिला वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया की जानी है । छावनी निर्वाचक नियमावली २००७ के नियम ०७(ई) के अनुसार महिलाओं हेतु वार्डों (इनमें अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु वार्ड का आरक्षण भी शामिल है) का आरक्षण अध्यक्ष छावनी परिषद, झांसी द्वारा बोर्ड के सदस्यों और साधारण जनता जो कार्यवाहियों का साक्षी बनना चाहती है, के समक्ष निकाली गई लाटरी के द्वारा किया जायेगा । अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त लाटरी दिनांक ०१.१२.२००७ को सांय ३.३० बजे अध्यक्ष छावनी परिषद द्वारा निकाली जायेगी ।

छावनी का कोई भी निवासी जो लाटरी के समय उपस्थित रहना चाहता है तो वह कार्यालय छावनी परिषद, झांसी में दिनांक ०१.१२.२००७ को सांय ३.३० बजे आ सकता है ।

अध्यक्ष छावनी परिषद, झांसी

पत्रसंख्या / झांसी / ए-१२ / डी / ८०९
कार्यालय छावनी परिषद, झांसी
दिनांक २० नवम्बर २००७

CANTONMENT BOARD, JHANSI.
PUBLIC NOTICE
JHANSI CANTT – RESERVATION OF WOMEN WARDS IN JHANSI CANTONMENT

It is for the information of the general public that the Central Government has published notification for the division of Jhansi Cantonment into wards in the official Gazettee vide SRO No. 07E dated 13.11.2007.

In pursuance of the Government of India, Ministry of Defence, Directorate General, Defence Estates, Delhi letter No. 76/38/Cantt Act/C/DE/07 Vol. II dated 13.11.2007 the exercise for reservation of wards for women ward has to be carried out in accordance with Rule 6 and 7 of CER 2007. According to Rule 7(e) of CER 2007 the reservation of wards for women (including the seats reserved for women belonging to Schedule Castes) shall be decided by the drawing of lots by the President in the presence of member of the Board and general public who wish to witness the proceedings. Hence it is decided that draw of the lottery shall take place on 01.12.2007 at 1530 hours by the President Cantonment Board, Jhansi in the office of the Cantonment Board, Jhansi.

Any resident of Cantonment Jhansi who desires to be present at the time of drawing lots, may come to the office of the Cantonment Board, Jhansi at 1530 hours on 01.12.2007.

President Cantonment Board, Jhansi

No. JHS/A-12/D/809
Office of the Cantonment Board
Jhansi Cantt, Dated 20.11.2007